निर्णय न्यायालय श्री हिमांशु शर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां, जिला बारां राज्य राजस्थान

प्रकरण सं. - 5/2021 अपील
दायरा दिनांक :- 7.4.2021
निर्णय दिनांक :- 30.6.21

<u>उनवान</u>

नेहा यादव पुत्री नीलकंठ पत्नी मैनेन्द्र कुमार जाति यादव निवासी दीगा रेलवे के सामने सैया निवासी ... कॉलोनी बारां तह. बारां

<u>बनाम</u>

ग्राम पंचायत कलोनिया तह. बारां जिला बारां

अपील नामा. सं. 464 ग्राम कलोनिया

निर्णय दिनांक :- 30.6.2022

अभिभाषक उपस्थित :- 1 श्री हेमराज मीणा - अपीलार्थी

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील नामा. सं. 464 दिनांक ... रेस्पो. के नामा. में इस आशय की पेश की गई कि खसरा नं. 339 रकबा 0.51 है. ख. नं. 351 रकबा 0.61 है., ख. नं. 438 रकबा 0.3... है. ख. नं. 460 रकबा 0.35 है. ख. नं. 493 रकबा 0.76 है. ख. नं. 499 रकबा 0.71 है. कुल 6 किता रकबा 3.24 है. ग्राम कलोनिया ... बारां में स्थित है अपीलार्थी के पिता श्री नीलकंठ पुत्र श्री ...लाल जाति यादव निवासी कलोनिया तह. बारां की मृत्यु हो जाने के बाद अपीलार्थी ... नामा. ग्राम पंचायत कलोनिया तह. बारां द्वारा इनके नीलकंठ की मृत्यु के बाद खोले गये इन्तकाल सं. 464 दिनांक 20.6.2008 में अपीलार्थी-2 का नाम नेहा के स्थान पर रीना गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि अपीलार्थी-2 का नाम नेहा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया इन्तकाल निरस्त किये जाने योग्य है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया इन्तकाल पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है क्योंकि इन्तकाल खोलते समय पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी-2 के नाम के बारे में ... जांच नहीं की क्योंकि अपीलार्थी-2 का नाम नेहा के स्थान पर रीना ... दर्ज किया गया है जो गलत है ... रिकार्ड में अपीलार्थी-2 ... अपीलार्थी-2 के पहचान पत्र ... पंचायत ... द्वारा खोला गया ... नाम नेहा दर्ज है, अधीनस्थ ...

लगातार - 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:34:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

इन्तकाल नं० 464 आदेश दिनांक 20.6.08 को निरस्त किया जाकर आराजी ख० नं० 339, 351, 438, 460, 493, 499 कुल 6 किता रकबा 3.24 हे० ग्राम कलोनिया तह० बारां के राजस्व रिकार्ड खाता जमाबंदी में अपीलार्थी का नाम सीधा के स्थान पर मेहा दर्ज किया जाना विधि विरुद्ध एवं न्यायोचित नहीं होगा। अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी की जमाबंदी की नकल प्राप्त करने व नकल को देखने पर अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने की जानकारी दिनांक 5.4.2021 को हुई तब अपीलार्थी ने इन्तकाल की नकल लेने हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 22.3.2021 को प्राप्त हुई। इसलिए इन्तकाल आदेश दिनांक 16.6.08 से जानकारी दिनांक 22.3.2021 तक का समय अपील की अवधि में से मुजरा किये जाने पर अपील अवधि मयाद पेश है तथा दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है, अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो० को नोटिस जारी तलब किया गया। रेस्पो० वावजूद इत्तला के नामा० के उप० नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामा० नं० 464 ग्राम कलोनिया, फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज० अजमेर की अंक तालिका, फोटो प्रति आधार कार्ड मेहा यादव, फोटो प्रति पेन कार्ड मेहा यादव, नकल जमाबंदी ग्राम कलोनिया संवत 2072-75 खाता नं० 66 पेश की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलार्थी सुनी गयी बहस के दौरान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया - वकील अपीलार्थी का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम कलोनिया तह० बारां में स्थित है अपीलार्थी का वास्तविक नाम मेहा यादव है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में सीधा दर्ज कर दिया गया है, पिता जीतमल के फौत होने पर फौती नामा० खोलते समय अपीलार्थी का नाम सीधा दर्ज कर दिया जबकि वास्तविक नाम मेहा यादव है। अपीलार्थी के अन्य दस्तावेजों में मेहा यादव दर्ज है आधार कार्ड पेन कार्ड, मा० शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका में अपीलार्थी का सही नाम मेहा दर्ज है अपीलार्थी का नाम गलत फौती नामा० खोलते समय दर्ज किया है अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर नामा० संख्या 464 दिनांक 20.6.08 खारिज किया जाकर अपीलार्थी के नाम की सही जांच कर पुनः नामा० दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक अपीलार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम कलोनिया

लगातार-3

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:34:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सम्वत 2072-75 खाता सं. 66 में कजोड़, धन्नीबाई, जानी, दीपा, प्रभा, राधेश्याम, लक्ष्मीबाई का नाम खातेदारी में दर्ज है। नकल फोटो प्रति पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं माध्य. शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंक तालिका में अपीलार्थी का नाम नेहा यादव अंकित है। नकल नामा. सं. 464 बाद इन्तकाल दिनांक 20.6.2008 जीतमल का फौती नामा० खोला गया है जिसमें मौनी ना० बा० पुत्र, दीपा, प्रभा नाबा. पुत्रियां, लक्ष्मीबाई बेवा जीतमल का नाम दर्ज किया गया है। इससे यह साबित होता है कि नामा. सं. 464 बाद इन्तकाल जीतमल के मरने के बाद फौती नामा खोला गया है नामा. खोलते समय अपीलार्थी नेहा यादव का नाम दर्ज न कर दीपा दर्ज कर दिया गया है जबकि अपीलार्थी दुरुस्त कराने की अधिकारी है अपीलार्थी के अन्य दस्तावेजों में नेहा नाम दर्ज है अपीलार्थी का सही नाम नेहा यादव है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर उक्त जीतमल के जायज वारिसान की सही जांच कर सभी नामों के नामा. खोलने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा नामा. संख्या 464 खारिज किया जाता है तहसीलदार बारां को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त जीतमल के वारिसान के सही नामों की जांच कर पुनः नामा. खोला जाकर तस्दीक किया जावे। निर्णय लिखाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:34:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner